ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292 PP. NO.- 410-411
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

# दलित समुदाय एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

**प्रमोद कुमार**
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, जितेन्द्र कुमार यादव कॉलेज, गया (बिहार), भारत

Received- 24.07.2020, Revised- 27.07.2020, Accepted - 29.07.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

***सारांश :*** ***अनुसूचित जाति शब्द लगभग आधी शताब्दी से प्रचलित है। पहली बार प्रयोग 1935 के भारत सरकार ने भारत सरकार/अनुसूचित जाति आदेश जारी किया था, जिसमें असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मध्य प्रान्त, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन प्रान्तों की कुछ जातियों एवं जनजातियों को 'अनुसूचित' विनिर्दिष्ट किया गया था। पहले ये जातियाँ दलित वर्ग कहलाती थी। 1931 की जनगणना में दलित वर्ग को सुव्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत किया गया था। 1936 में जारी की गयी। अनुसूचित जातियों की सूची दलित वर्गो की पहली जैसी ही थी। 1950 में जो सूची बनायी गयी वह पहली सूची में परिवर्तन करके बनाई गयी थी। संविधान की उद्घोषणा के बाद उन सूचियों को अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया। इस बीच गैर सरकारी इस्तेमाल में 'हरिजन' शब्द भी काफी प्रचलित रहा। संविधान के अनुच्छेद 341 में कुछ पिछड़ी हुई जातियों और समुदायों को जो अस्पृश्यता एवं अन्य कई सामाजिक निर्योग्यताओं का शिकार थी, अनुसूचित जातियाँ घोषित किया गया था। अनुसूचित जातियों की मौजूदा सूची में कोई भी संशोधन संसदीय अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 'अनुसूचित जाति' नाम की उत्पत्ति प्रशासनिक है, न कि सामाजिक या समाजशास्त्रीय।***

***कुंजीभूत शब्द– अनुसूचित जाति, प्रचलित, तत्कालीन,जनजातियों, विनिर्दिष्ट, जातियाँ, दलित वर्ग, जनगणना।***

दलितों या अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उन्हें मिला परिणामस्वरूप उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार एवं परिवर्तन हुआ है।

दलित समुदाय पर न केवल संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव पड़ा बल्कि नगरीकरण, औद्योगिकरण, संचार के साधनों, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, शिक्षा राजनीतिक जागरूकता, विकास योजनाओं इत्यादि ने भी उनकी पूर्ववत स्थिति को परिवर्तित करने में योगदान दिया है। दलित समुदाय में शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है। शिक्षा के दलित समुदाय के अनेक लोगों को उच्च पदों तक पहूँचा दिया है। आज वे विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर अपने विचार को प्रस्तुत करने में सक्षम है।

**अध्ययन का उद्देश्य** – प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं जैसे बाल विवाह, जीवन साथी के चयन का आधार, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, दहेज प्रथा, संयुक्त परिवार, धार्मिक स्थल में अराधना, कर्मफल में विश्वास, धार्मिक अंधविश्वास, जादू–टोना एवं तन्त्र–मन्त्र में विश्वास के प्रति दलितों के दृष्टिकोण को ज्ञात करना है।

**उपकल्पनाएँ** – (1) दलितों में बाल विवाह का प्रचलन कम होना। (2) दलित लोग जीवन साथी के चयन में जाति को प्रमुखता देते हैं। (3) दलित लोग अन्तर्जातीय विवाह के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन सवर्ण जाति में विवाह के पक्ष में है। (4) दलितों में दहेज का प्रचलन बढ़ रहा है।

**अध्ययन का क्षेत्र** –प्रस्तुत अध्ययन का समग्र गया जिला का बोध गया प्रखण्ड के दलित गाँव हैं ।

**निदर्शन**–बोध गया प्रखण्ड के दलित गाँवों में से विनोवा नगर, नॉमा, तुरी, जयसिया टोला तथा घोषिया गाँव का चयन किया गया है । चयनित गाँवों से 100 दलित लोगों का चयन उत्तरदाता के रूप में किया गया ।

**तथ्य संकलन के स्त्रोत** – प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों का संकलन किया गया। प्राथमिक तथ्यों का संकलन अनुसूची की सहायता से तथा द्वितीयक तथ्यों का संकलन समस्या से सम्बद्ध ग्रंथों से किया गया।

## प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण (तालिका संख्या–1)

| | कथन | हाँ | नहीं | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | क्या आप बाल विवाह के पक्ष में हैं ? | 60 | 40 | 100 |
| 2. | आप जीवन साथी के चुनाव में जाति को मजबूत मानते हैं ? | 75 | 25 | 100 |
| 3. | क्या आप अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में हैं ? | 21 | 79 | 100 |
| 4. | क्या आप विधवा विवाह के पक्ष में हैं ? | 90 | 10 | 100 |
| 5. | क्या आप विवाह–विच्छेद के पक्ष में हैं ? | 20 | 80 | 100 |
| 6. | क्या दहेज लेना चाहिए ? | 75 | 25 | 100 |
| 7. | क्या संयुक्त परिवार सामान्यतः कलह और विवाद को प्रोत्साहन देता है ? | 81 | 19 | 100 |
| 8. | क्या धार्मिक स्थलों पर नियमित आराधना करने के लिए जाते हैं ? | 45 | 55 | 100 |

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

प्रस्तुत तालिका के आंकड़ों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे बाल विवाह के पक्ष में है। 40 प्रतिशत उत्तरदाता बाल विवाह के पक्ष में नहीं है। 75 प्रतिशत उत्तरदाता जीवन साथी के चुनाव में जाति के मजबूत आधार मानते हैं तथा 25 प्रतिशत उत्तरदाता मजबूत आधार नहीं मानते। 21 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में है तथा 79 प्रतिशत उत्तरदाता इसके पक्ष में नहीं हैं 90 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा विवाह के पक्ष में हैं तथा 10 प्रतिशत उत्तरदाता इसके पक्ष में नहीं हैं। 20 प्रतिशत उत्तरदाता विवाह विच्छेद के पक्ष में हैं तथा 80 प्रतिशत इसके विपक्ष में हैं। 75 प्रतिशत उत्तरदाता दहेज के समर्थक हैं, जबकि 25 प्रतिशत उत्तरदाता दहेज प्रथा के विरोधी हैं। 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि संयुक्त परिवार सामान्यतः कलह और विग्रह को प्रोत्साहन देता है। 45 प्रतिशत दलित समाज के लोग धार्मिक स्थलों पर नियमित अराधना करने के लिए जाते हैं।

**तालिका संख्या–2**

| कथन | हा | नहीं | योग |
|---|---|---|---|
| 1. क्या आप कर्मफल में विश्वास करते है ? | 88 | 12 | 100 |
| 2. क्या आप धार्मिक अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं ? | 89 | 11 | 100 |
| 3. क्या आप अन्तजातीय विवाह के पक्ष में हैं ? | 70 | 10 | 100 |

उपर की तालिका के तथ्यों से ज्ञात होता है कि 88 प्रतिशत उत्तरदाता कर्मफल में विश्वास करते हैं। 12 प्रतिशत उत्तरदाता कर्मफल में विश्वास नहीं करते हैं। 89 प्रतिशत उत्तरदाता धार्मिक अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। 11 प्रतिशत उत्तरदाता इसमें विवास नहीं करते। 70 प्रतिशत उत्तरदाता जादू–टोना एवं तन्त्र–मन्त्र में विश्वास करते हैं तााि 10 प्रतिशत उत्तरदाता इसमें विश्वास नहीं करते।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि दलित समुदाय के लोग विभिन्न सामाजिक समस्याओं के कप्रिति जागरूक हैं क। उत्तरदाता बाल विवाह के पक्षधर हैं। वे कहते हैं कि इसके द्वारा समाज में यौन सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के विकृतियों का समाधान हो जाता है। उत्तरदाताओं में से बहुत से उत्तरदाता इसके पक्ष में नहीं है। दलित समुदाय में जीवन साथी के चयन में जाति को प्रमुखता दी जाती है। इनके यहाँ अन्तर्जातीय विवाह को पसन्द नहीं किया जाता दलित समाज में विधवा विवाह को स्वीकृति दी जाती है। लेकिन विवाह–विच्छेद को अच्छा नहीं माना जाता। दलित समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन बढ़ने के कारण दलितों में निर्धनता में वृद्धि तथा ऋणग्रस्तता कलह एवं दोष का कारण मानते हैं। दलितों की एक बड़ी संख्या धार्मिक स्थलों पर अराधना करने के लिए जाते हैं। अशिक्षा अभी भी दलितों में व्याप्त हैं। इनमें धार्मिक अंधविश्वास भी पाया जाता हैं। ये लोग जादू–टोना, तन्त्र–मन्त्र का भी उपयोग करते हैं।

अतः दलित समुदाय पर जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव पड़ रहा है और वे जागरूक भी हो रहे हैं, परन्तु शिक्षा, निर्धनता आदि के कारण इस स्तर के जागरूकता का प्रसार नहीं हो रहा है, जिसका अपेक्षा की जाती है।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा राम (2000) : भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर ।
2. अमर नाथ (2010) : दलितों की राजनीति में सहभागिता अप्रकाशित शोध–प्रबंध, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वारणसी ।
3. गुरू जी (1997) : 'दलित कल्चर' मूवमेंट एण्ड डायलैटिक ऑफ दलित पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र', विकास अध्ययन केन्द्र, मुम्बई ।
4. पांडेय, पी.एन. (1988) : 'एजुकेशन एंड सोशल मोबिलटी अमंग शिड्यूलड कास्ट्रस', रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
5. हांगो, जी. (2005) : अनरयेबल सिटीजन, दलित मूवमेंट एंड डिमोक्रैटाइजेशन इन तमिलनाडू, सांग, नई दिल्ली ।

*****